न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 141 / 2022

रामोतार मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक **18.05.2022**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 141 / 2022 पर दिनांक 27.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 1757–58 दिनांक 27.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई / 2022 / 650–52 दिनांक 02.05.2022 द्वारा प्रार्थी का आवेदन प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को अन्तरित करते हुए सूचना से इस न्यायालय को अवगत कराया है। प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने पत्रांक 1337 दिनांक 16.05.2022 से अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील झुंझुनूं द्वारा निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) को सूचना का अधिकार धिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत प्रेषित प्रार्थना पत्र के कम मे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के पत्रांक 88 दिनांक 14.03.2022से भू0 अभिलेख अनुभाग मे प्राप्त हुआ। (1) आदेश की प्रतिलिपि जिसमे प्रार्थी का सीमाज्ञान हेतु टीम गठित की गई हो। (2) सीमाज्ञान हेतु नियत दिनांक व समय। (3) डाक विभाग द्वारा जारी डाक प्राप्ति रसीद जिसमे आपका पत्र संख्या 3236 दिनांक 13.09.2021 भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर को भेजा गया है की सत्य प्रतिलिपि। (सलंग्नक–ए) उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 766 दिनांक 22.03.2022 से रामोतार मीणा पुत्र भोवाराम मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द को सूचना प्रेषित की गई तथा सूचना की प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रेषित की गई। (सलंग्नक–बी) प्रार्थी श्री रामोतार मीणा के उक्त सूचनाओं के संबंध मे पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) झुंझुनूं के पत्रांक 130[illegible] दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत पत्र के कम मे इस कार्यालय के पत्रांक 1290 दिनांक 12.05.2022 से श्री रामोतार मीणा को सूचना प्रेषित कर दी गई है जो कि निम्नानुसार हैः– **भू–प्रबन्ध विभाग के प्रकरण मे सीमाज्ञान हेतु टीम गठन के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश व दिनांक व समय नियत के आदेश भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जाते है। इस कार्यालय के पत्रांक 3536 दिनांक 13.09.2021 भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को साधारण डाक से भेजा गया है। अतः आपके द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। (सलंग्नक–सी)

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।

6. **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा** पत्रांक आर0टी0आई / 2022 / 650–52 दिनांक 02.05.2022 द्वारा प्रार्थी का आवेदन प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को अन्तरित करते हुए सूचना से इस न्यायालय को अवगत कराया है। प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने पत्रांक 1337 दिनांक 16.05.2022 से अवगत कराया है कि श्री रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील झुंझुनूं द्वारा निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) को सूचना का अधिकार धिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत प्रेषित प्रार्थना पत्र के कम मे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के पत्रांक 88 दिनांक 14.03.2022से भू0 अभिलेख अनुभाग मे प्राप्त हुआ। (1) आदेश की प्रतिलिपि जिसमे प्रार्थी का सीमाज्ञान हेतु टीम गठित की गई हो। (2) सीमाज्ञान हेतु नियत दिनांक व समय। (3) डाक विभाग द्वारा जारी डाक प्राप्ति रसीद जिसमे आपका पत्र संख्या 3236 दिनांक 13.09.2021 भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर को भेजा गया है की सत्य प्रतिलिपि। (सलंग्नक–ए) उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 766 दिनांक 22.03.2022 से रामोतार मीणा पुत्र भींवाराम मीणा निवासी भडोन्दा खुर्द को सूचना प्रेषित की गई तथा सूचना की प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रेषित की गई। (सलंग्नक–बी) प्रार्थी श्री रामोतार मीणाा के उक्त सूचनाओं के संबंध मे पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं के पत्रांक 130 दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत पत्र के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक 1290 दिनांक 12.05.2022 से श्री रामोतार मीणा को सूचना प्रेषित कर दी गई है जो कि निम्नानुसार हैः– भू–प्रबन्ध विभाग के प्रकरण मे सीमाज्ञान हेतु टीम गठन के आदेश व दिनांक व समय नियत के आदेश भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जाते है। इस कार्यालय के पत्रांक 3536 दिनांक 13.09.2021 भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को साधारण डाक से भेजा गया है। अतः आपके द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचनायें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं